

संविधान दिवस जागरूकता कार्यक्रम (CDAP)

भारतीय संविधान की संशोधित उद्देशिका अथवा प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिवक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ-संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

छावनी परिषद्, मेरठ।



संविधान दिवस जागरूकता कार्यक्रम (CDAP)

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र-गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भावुत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

छावनी परिषद्, मेरठ।

